

170

पत्र संख्या-11/आ0-4-आ0नी0-03/2000 सा0प्र0. 9.5.29.

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्वद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

पटना-15, दिनांक 01.7.15

विषय:-

Candidates with permanent loss of limbs who are unable to write या सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित अभ्यर्थी, जो लिखने में सक्षम नहीं हैं, को श्रुति लेखक की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत सरकारी सेवाओं की नियुक्ति/प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में विकलांगों के लिए 3 (तीन) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस निमित्त विभागीय स्तर से संकल्प संख्या-62 दिनांक-05.01.2007 द्वारा विस्तृत निदेश जारी किये जा चुके हैं तथा इस विभाग के परिपत्र संख्या-3433 दिनांक-09.10.2007 द्वारा दृष्टिहीनों को लिखित परीक्षाओं में श्रुति लेखक की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रवधान किया गया है।

उपर्युक्त प्रावधान के बाद **Candidates with permanent loss of limbs who are unable to write** या सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित अभ्यर्थी, जो लिखने में सक्षम नहीं हैं, द्वारा भी प्रतियोगी परीक्षाओं में श्रुति लेखक की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध पत्र समर्पित किये गए। सरकार द्वारा इस संदर्भ में सम्यक् विचार करते हुए निम्नांकित शर्तों के अधीन **Candidates with permanent loss of limbs who are unable to write** या सेरिब्रल पॉल्सी से प्रभावित अभ्यर्थी, जो लिखने में सक्षम नहीं हैं, को श्रुति लेखक की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है :-

1. विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा **Candidates with permanent loss of limbs who are unable to write** या सेरिब्रल पॉल्सी विकलांगता से ग्रसित अभ्यर्थी, जो लिखने में सक्षम नहीं हों, को श्रुति लेखक की व्यवस्था की जायेगी।

कृ०पृ०उ०

2. श्रुति लेखक के पारिश्रमिक का भुगतान प्रति पाली 100/- (एक सौ) रु0 मात्र की दर से परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा देय होगा। श्रुति लेखक की शैक्षणिक योग्यता आयोजित परीक्षा (जिसमें अभ्यर्थी सम्मिलित होने वाला है) से एक स्तर नीचे की होगी।
3. Candidates with permanent loss of limbs who are unable to write या सेरिब्रल पॉल्सी विकलांगता से ग्रसित अभ्यर्थी, जो लिखने में सक्षम नहीं हों, को संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित समय के साथ-साथ प्रति घंटा 15 मिनट की दर से न्यूनतम 15 मिनट तथा अधिकतम 45 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(राजेश्वरी शर्मा)

सरकार के अपर सचिव

जापांक:-11/आ0-4-आ0नी0-03/2000 सा0प्र0 9529 पटना-15, दिनांक 01.7.15
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर सचिव

जापांक:-11/आ0-4-आ0नी0-03/2000 सा0प्र0 9529 पटना-15, दिनांक 01.7.15
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार पटना/ सभी विश्वविद्यालय/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव